मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश पृ0सं0/मा0प्रौ0वि0/कुस0का0/489/2020 दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अवक्रमित करते हुए विश्वविद्यालय अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में प्रदत्त व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं के विश्वविद्यालय में सदाचरण तथा उनका अनुशासन बनाये रखने एवं अन्य सुसंगत कार्यो के सुचारू एवं सुचितापूर्ण ढंग से सम्पादित किये जाने तथा अन्य समस्त सम्बन्धित कार्यो को पूर्ण करने हेतु प्रो0 वी0 के0 गिरि, आचार्य, विद्युत अभियन्त्रण विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश होने अथवा शासन द्वारा प्रथम परिनियावली को गजट करने तक के लिए आचार्य के रुप में अपने कर्तब्यों के साथ-साथ विश्वविद्यालय का **नियंता (Proctor)** नियुक्त किया जाता है। नियंता के दायित्वों एवं कर्तव्यों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अधिनियम के प्राविधानों के साथ परिनियमावली में उल्लिखित निम्नलिखित व्यवस्था को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है:-

POWERS AND DUTIES OF THE PROCTOR	22 (1) The Proctor shall :- (a) be responsible for all the aspects of discipline and proper conduct of students in the University as may be determined by the Chancellor, the Vice Chancellor, the Board of Management and any other appropriate authority of the University or the State or National bodies in this regard; (b) preside over or attend all such meetings that are related with the students' discipline and misconduct related activities and will see that all the decisions of the Proctorial Board are effectively implemented after due approval from the Vice Chancellor; (c) continuously prepare and upgrade the plans maintaining student discipline in the University; (d) be the main coordinating officer related to anti- ragging and anti-women harassment schemes and efforts of the University to curb such other related undesired students' activities; (e) prepare the budget requirements related to the Proctor office and other related activities, if any and provide the same to be included in the annual budget of the University; (f) communicate with the parent(s)/guardian(s) of student(s) in respect of disciplinary matter requiring their assistance, when necessary. (2) perform all such other duties as may be assigned by the Board of Management or the Vice Chancellor in this regard.

प्रो0 गिरि से अपेक्षा की जाती है कि वे विश्वविद्यालय हित व छात्र हित में विश्वविद्यालय अधियनियम तथा परिनियमावली के अधीन सौंपी जा रही उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत **नियंता (Proctor)** का पदभार ग्रहण करते हुये अपना योगदान देना सुनिश्चित करें।

उक्त दायित्वों के साथ-साथ विश्वविद्यालय में समुचित सुरक्षा व्यवस्था हेतु नामित प्रभारी सुरक्षा द्वारा नियंता के पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में अपने दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा तथा नियंता स्तर से विश्वविद्यालय सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त विषयों पर सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रो0 ए0 के0 पाण्डेय, आचार्य, विद्यत अभियंत्रण विभाग, द्वारा **नियंता (Proctor)** के रुप में दी गयी सेवाओं हेतु उनको सराहना की जाती है।

ह0/-
कुलपति

पृ0सं0/मा0प्रौ0वि0/कुस0का0/ 544 /2020 दिनांक : 31 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रो0 वी0 के0 गिरि, आचार्य, विद्युत अभियंत्रण विभाग।
2. प्रो0 ए0 के0 पाण्डेय, आचार्य, विद्युत अभियंत्रण विभाग।
3. समस्त डीन्स/विभागाध्यक्ष/समस्त वार्डेन्स/प्राक्टर/परीक्षा नियंत्रक/वित्त नियंत्रक।
4. यूनिट के समस्त प्रभारीगण/समस्त अनुभागीय अधिकारी/चेयरमैन, आई0टी0आर0सी0।
5. वेबमास्टर को वेबसाइट पर उपरोक्तानुसार उपयुक्त स्थलों पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. व्यक्तिगत पंजिका उपरोक्त शिक्षक।
7. गार्ड फाइल।
8. वै0स0 कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

31/10/2020
कुलसचिव